भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3159

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

.....

मुख्य सिंचाई परियोजनाएं

3159. श्री तालारी रंगैय्या:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्माणाधीन मुख्य सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) आज की तिथि तक इन सभी परियोजनाओं के लिए आबंटित और संवितरित की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ख) जल संसाधन, परियोजना को राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों और प्राथमिकता के आधार पर नियोजित, वित्त पोषित, कार्यान्वित और अनुरक्षित किया जाता है। उनके प्रयासों में सहयोग देने के लिए भारत सरकार विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के माध्यम से जल संसाधनों के स्थायी विकास और कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान पीएमकेएसवाई- (एआईबीपी) के अंतर्गत निन्यानवे (99) जारी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (और उनके 7 चरणों), जिनकी कुल सिंचाई क्षमता 76.03 लाख हेक्टेयर है तथा शेष 77595 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत (केंद्रीय सहायता 31342 करोड़ रूपए का घट) को राज्यों के साथ परामर्श करके चरणों में ृरा करने के लिए प्राथमिकीकृत किया गया है। नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण मैकेनिजम को भी केंद्र और राज्य दोनों के अंश के लिए भी सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 2016-20 के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता सहित इन प्राथमिकीकृत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में 12.03.2020 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3159 के भाग (क) से (ख) में उल्लिखित विवरण

(करोड़ रु.; हजार हे. में क्षमता)

क्र .[illegible]	राज्य (परियोजनाओं/पूरी की जा चुकी की कुल सं.)	1.4.2016 की स्थिति [illegible]	2016-20 [illegible] जारी की [illegible] केंद्रीय [illegible] ([illegible])	[illegible] सिंचाई क्षमता	31.03.2016 तक सृजित की गई सिंचाई क्षमता	2016-17 [illegible] क्षमता
1	आंध्र प्रदेश (8/1)	1056.18	22.63	263.29	180.64	24.33
2	असम (3/1)	414.13	0.00	124.93	66.58	29.44
3	बिहार (2/0)	539.90	96.12	37.27	6.98	10.91
4	छत्तीसगढ़ (3/2)	280.84	34.63	47.63	25.17	16.62
5	गोवा (1/0)	8.69	0.000	14.52	11.17	0.23
6	गुजरात (1/0)	9873.26	3905.004	1792.00	1111.00	527.31
7	जम्मू और कश्मीर (4/1)	115.67	32.37	61.44	53.29	0.00
8	झारखंड (1/0)	7663.91	756.730	236.85	63.10	79.19
9	कर्नाटक (5/2)	2518.13	955.40	252.81	132.31	112.49
10	केरल (2/0)	68.52	0.00	38.08	28.34	1.11
11	मध्य प्रदेश (21/11)	3328.55	588.86	872.63	618.64	162.19
12	महाराष्ट्र (26/9)	21400.22	1562.10	850.75	294.94	172.11
13	मणिपुर (2/0)	722.97	204.84	36.99	17.66	9.63
14	ओडिशा (8/5)	6221.06	1132.48	327.68	189.95	36.13
15	पंजाब (2/2)	220.80	52.42	91.95	80.33	0.00
16	राजस्थान (2/2)	719.21	364.95	315.57	308.33	7.17
17	तेलंगाना (11/3)	8328.32	774.71	585.10	228.73	113.96
18	उत्तर प्रदेश (4/1)	9279.11	1006.07	1653.05	721.92	513.41
	[illegible] (106*/40)	**72759.47**	**11489.31**	**7602.54**	**4139.06**	**1816.22**

*चरणों सहित